<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक 859 / 08</u> <u>संस्थित दिनांक —18 / 12 / 08</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

- 1. पाहपसिंह पिता झर्रीलाल उम्र 35 वर्ष निवासी खैरलांजी जिला बालाघाट। —(मृत घोषित)
- 2. जयसिंह टेकाम पिता सैलूसिंह उम्र 56 वर्ष जाति गोंड निवासी मोहगांव थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0।
- दूवलाल पिता रामप्रसाद धुर्वे उम्र 37 वर्ष निवासी तिरगांव थाना बैहर जिला बालाघाट।
- बैजनाथ पिता हीरालाल आर्मी उम्र 40 वर्ष जाति गोंड थाना बैहर जिला बालाघाट। —(मृत घोषित)
- दशरथ मरावी पिता श्यामलाल उम्र 34 वर्ष निवासी सुरवाही थाना बैहर जिला बालाघाट।

📆 🐪 आरोपीगण

:<u>:निर्णय::</u>

<u> [दिनांक 10 / 04 / 2017 को घोषित]</u>

- 1. आरोपीगण के विरूद्ध धारा 147, 323 भा.द.वि. के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उन्होंने दिनांक 15/11/2008 को समय 15—16 बजे ग्राम सुरवाही बगलीपाट मेला थाना बैहर जिला बालाघाट में अपराध कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर विधि विरूद्ध जमाव गठित कर उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा अशोक कुमार को हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी रामकिशोर कावरे ने घटना दिनांक को थाना बैहर में लिखित शिकायत प्रस्तृत की कि

दिनांक 15/11/08 को करीब तीन—चार बजे के बीच जनसंपर्क करने के दौरान पोपिसंह भलावी, जयिसंह तेकाम व दर्जन भर लोगों के ने उस पर हमला किया। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे की, सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर आहत अशोक का मुलाहिजा कराया गया तथा घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :—
 (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 15/11/2008 को समय 15—16
 बजे ग्राम सुरवाही बगलीपाट मेला थाना बैहर जिला बालाघाट में
 अपराध कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर विधि विरूद्ध
 जमाव गठित कर उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने बल या
 हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?
 - (2) क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अशोक कुमार को हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की ?

<u>::सकारण निष्कर्ष::</u>

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. अशोक कुमार (अ०सा०—6) का कहना है कि वह आरोपी पाहपसिंह को जानता है तथा अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना उसकी साक्ष्य देने से करीब सात वर्ष पूर्व बगलीपाट मेले की है। वह विधायक प्रत्याशी रामिकशोर कावरे तथा अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मेले में चुनाव प्रचार कर रहा था। उनकी सभा चल रही थी अचानक पाहपसिंह के साथ 10—15 लोग आये और उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे। पाहपसिंह के हाथ में डंडा था और वह अन्य लोगों के साथ उन्हें मार रहा था। बीच बचाव के बाद उन लोगों ने थाना बैहर आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस ने उसका मुलाहिजा कराया था।

- 6. परिवादी रामिकशोर कांवरे (अ०सा०—3) का कहना है कि वह आरोपीगण को पहचानता है तथा घटना वर्ष 2008 में चुनाव के समय की है। घ ाटना दिनांक को वह चुनाव में जनसंपर्क में था। तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले लोगों को वह नहीं जानता है। उसने उक्त घटना के संबंध में थाना बैहर में लिखित शिकायत प्र.पी.01 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। हमले में उसे काई चोट नही आयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने घटना दिनांक को आरोपी पोपिसंह, जयिसंह तथा अन्य लगभग दर्जन भर लोगों द्वारा हमला करने तथा पुलिस को प्र.पी.03 का कथन देने से इंकार किया है।
- 7. त्रिभुवन (अ०सा०-7) का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। तथा घटना वर्ष 2007-08 को समय करीब 04:30 बजे बगलीपाट मेले की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नान्हु कांवरे का भाषण चल रहा था। उसी समय दूसरी पार्टी के लोग आये तो उनके बीच विवाद होने लगा। अशोक अवधिया के साथ मारपीट हुई थी जिसे ईलाज के लिए अस्पताल लाये थे तब वह अस्पताल गया था। उसे घटना के संबंध में इतनी ही जानकारी है। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने तथा पुलिस को प्र.पी.06 के कथन देने से इंकार किया है।
- 8. सोहनसिंह (अ०सा०—1) का कहना है वह आरोपी पाहपसिंह व दशरथ को छोड़कर अन्य आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग तीन—चार वर्ष पूर्व शाम के 05:00 बजे की है। उसने घटना होते हुए नहीं देखा पर यह सुना था कि मण्ड़ई में कुछ लोगों के मध्य हल्ला—गुल्ला हुआ था, किनके मध्य हल्ला—गुल्ला हुआ था उसे जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.01 बयान देने से इंकार किया।
- 9. रामिकशोर (अ०सा०—2) का कहना है कि वह मृत आरोपी पाहपसिंह को छोड़कर शेष आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के बारे

में कोई जानकारी नहीं है। उसे बाद में पता चला था कि बगलीपाट मेले में रामिकशोर कावरे के साथ कुछ लोगों की लड़ाई और हुल्लड़ हो गया था। उसने वहां पर जाकर बीच—बचाव नहीं किया और पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ नहीं की थी।

- 10. रूपचंद (अ०सा०-4) ने आरोपी को जानने से इंकार कर कथन किया है कि घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग पांच-सात साल पूर्व ग्राम बगलीपाठ की है वह अपने गांव के लोगों के साथ मेला घूम रहा था तब उसे पता चला कि भाजपा और मुक्ति सेना कार्यकर्ताओं के बीच वाद विवाद हो गया है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हाथ मुक्के से मारपीट करते देखने तथा पुलिस को प्र.पी.04 के कथन देने से इंकार किया।
- ा. डां. चतुर्वेदी (अ०सा०—5) का कथन है कि दिनांक 15.11.09 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में आरक्षक शशी कुमार कमांक 349 थाना बैहर द्वारा अशोक कुमार अविधया को परीक्षण हेतु पेश करने पर उसने एक इंच गुणा एक इंच लाल नीले रंग की एक मुडी चोट दाहिये पर पायी थी। जिस हेतु एक्सरे एवं ई.सी.जी. की सलाह दी गयी थी। उक्त चोट परीक्षण के चार से छः घण्टे के भीतर की होकर कड़ी व बोथरी वस्तु से आना संभावित थी। मरीज को ईलाज हेतु जिला अस्पताल रिफर किया गया था उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी.05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय आहत अशोक को चोट आना दर्शित है।
- 12. धर्मेन्द्र यादव (अ०सा०—8) का कहना है कि दिनांक 15.11.08 को थाना बैहर में पदस्थापना के दौरान रामिकशोर कावरे के लिखित आवेदन पर आरोपी पाहपसिंह, जयसिंह तथा अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 93/08 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 तैयार की थी। जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी रामिकशोर कावरे, भूपेन्द्र, अरूण, त्रिभुवन तथा दिनांक 16.11.08 को रामिकशोर, रूपचंद, साहेनलाल, दिनांक 20.11.08 को साक्षी अघनलाल के कथन उनके बताये

अनुसार लेख किया था। दिनांक 16.11.08 को घटनास्थल पर जाकर साक्षी सोहनलाल की निशांदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.08 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 16.12.08 को आरोपी पाहपसिंह, जयसिंह, दूबलाल, बैजनाथ, दशरथ को गवाह प्रेमसिंह व महेश के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.09 लगायत प्र.पी.13 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भागों पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन तैयार किया गया।

- घटना का समर्थन मात्र अशोक अ०सा०६ ने किया है। उक्त साक्षी ने भी मृत अभियुक्त पाहपसिंह द्वारा अन्य दस पंद्रह लोगों के साथ आकर गाली गुप्तार तथा मारपीट करने का कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने शेष अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार कर घटना के समय बगलीपाट मेले में हजारों की भीड होने के कथन किये हैं। घटना का समर्थन किसी भी अन्य साक्षी ने नहीं किया है तथा सभी साक्षियों ने आरोपीगण द्वारा घटना करने से इंकार किया है। स्वयं परिवादी रामकिशोर कावरे अ०सा०३ ने आरोपीगण द्वारा हमला करने से इंकार कर अज्ञात लोगों द्वारा हमला करने के कथन किये हैं। यद्यपि विवेचक साक्षी धर्मेन्द्र यादव अ०सा०८ की साक्ष्य उसकी विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है। तथापि आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है क्योंकि लगभग सभी साक्षियों ने मृत अभियुक्त पाहपसिंह को छोड़कर शेष अभियुक्तगण को पहचानने से ही इंकार किया है जिससे अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उन्होंने दिनांक 15 / 11 / 2008 को समय 15-16 बजे ग्राम सुरवाही बगलीपाट मेला थाना बैहर जिला बालाघाट में अपराध कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर विधि विरूद्ध जमाव गठित कर उस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा अशोक कुमार को हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 14. अतः अभियुक्तगण को भा.दं०सं० की धारा 147, 323 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.

सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

- प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहें हैं। 16. उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है। 17.

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ेबैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

